उत्तर प्रदेश शासन

सूचना अनुभाग–1

संख्या : 439/उन्नीस–1–94–163/91

लखनऊ, दिनांक 21 मार्च 1994

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (मुख्यालय) समूह 'घ' सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (मुख्यालय) समूह 'घ' सेवा नियमावली, 1994

भाग–एक (सामान्य)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (i) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (मुख्यालय) समूह "घ" सेवा नियमावली, 1994' कही जायेगी।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (मुख्यालय) समूह "घ" सेवा में समूह "घ" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक से है,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है.

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्त प्रदेश के निदेशक से है.

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है.

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (मुख्यालय) समूह 'घ' सेवा से है.

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो.

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो (संवर्ग)

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है।

परन्तु : (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या श्री राज्यपाल उसे आरक्षित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न

होगा, या–

(दो) श्री राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन (भर्ती)

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) विद्युतकार (इलेक्ट्रिशियन) :

मौलिक रूप से नियुक्त सिनेमा प्रचालकों (आपरेटर), प्रक्षेपक प्रचालकों (प्रोजेक्टर आपरेटर) और प्रचालक एवं विद्युतकारों (आपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप मे तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(2) काष्ठकार (कारपेण्टर) (950–1500 रूपये) :

मौलिक रूप से नियुक्त काष्ठकार एवं रंगसाजों (कार्पेण्टर कम पेण्टर) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) सिनेमा प्रचालक (आपरेटर), प्रक्षेपक प्रचालक (प्रोजेक्टर आपरेटर), प्रचालक एवं विद्युतकार (आपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन) :

775–1025 रूपये के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों में से जिन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, सिनेमा प्रचालक का लाइसेंस रखता हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने–अपने पदों पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

(4) काष्ठकार एवं रंगसाज : (कार्पेन्टर कम पेन्टर)	मौलिक रूप से नियुक्त काष्ठकारों (कार्पेण्टर) (775–1025 रूपये) और कार्यशाला सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(5) मुद्रण मशीन प्रचालक / इम्बोसिंग मशीन प्रचालक / रेलवे पार्सल सहायक :	775–1025 रूपये के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने–अपने पदों पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन संमिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(6) एड्रेसोग्राफर मशीन प्रचालक / साइक्लोस्टाईल मशीन प्रचालक / दफ्तरी / दफ्तरी एवं पैकर :	मौलिक रूप से नियुक्त चपरासियों, फर्राशों और पैकरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में अपने–अपने पदों पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(7) काष्ठकार : (775–1025 रूपये)	सीधी भर्ती द्वारा।
(8) जमादार :	मौलिक रूप से नियुक्त चपरासियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(9) कार्यशाला सहायक :	750–940 रूपये के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने–अपने पदों पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(10) चपरासी / फर्राश / मशीनमैन / चौकीदार / माली / पानीवाला / क्लीनर / बेलदार / लिफ्टमैन / पैकर / परिचर / मददगार / प्रयोगशाला परिचर / बैटरीवाला / सफाईकार / सफाईकार एवं फर्राश : — सीधी भर्ती द्वारा।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार (अर्हतायें)

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक

अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :–

पद	अर्हताएं
(क) सिनेमा प्रचालक/ प्रक्षेपक प्रचालक (प्रोजेक्टर आपरेटर) :	(1) बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) सिनेमा मशीन को प्रचालित करने का ज्ञान। (3) सिनेमा मशीन प्रचालक का लाइसेंस।
(ख) प्रचालक एवं विद्युतकार (आपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन) :	(1) बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) सिनेमा मशीन को प्रचालित करने का ज्ञान। (3) सिनेमा मशीन प्रचालक का लाइसेंस। (4) विद्युत कार्यों का ज्ञान।

(ग) काष्ठकार (कारपेण्टर) (775–1025 रूपये) :	(1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा आठ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (2) काष्ठ कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।
(घ) चपरासी / पैकर :	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा पांच उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(ङ) फर्राश / मशीनमैन / चौकीदार / माली / पानीवाला / क्लीनर / बेलदार / लिफ्टमैन / परिचर / मददगार / प्रयोगशाला परिचर / बैटरी वाला / सफाईकार / सफाईकार एवं फर्राश :	(1) इन पदों के लिये कोई शैक्षिक अर्हतायें विहित नहीं की गई है किन्तु, उस व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी पढने और लिखने में सक्षम हो। (2) कोई भी व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र न होगा जब तक कि उसे माली के कार्य से सम्बन्धित अपेक्षित ज्ञान न प्राप्त हो और उस कार्य का अच्छा अनुभव न रखता हो। (3) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पद, जिस पर प्राविधिक ज्ञान की अपेक्षा हो, नियुक्ति के लिये पात्र न होगा जब तक कि उसे अपेक्षित प्राविधिक ज्ञान न प्राप्त हो और उसके पास कार्य विशेष से सम्बन्धित अच्छा अनुभव न हो।

अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम् 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें रिक्तियां अधिसूचित की जायें, की पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड–2, भाग–तीन के अध्याय : तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच (भर्ती की प्रक्रिया)

का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां तत्समय प्रवृत्त निथमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी।

भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी,

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी,

यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न जाति का एक अधिकारी,

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट 2 अधिकारी, जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण और उसके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे उपयुक्त अधिकारी मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये नियम–6 के अधीन रिक्तियां आरक्षित की जानी अपेक्षित हों) के नाम प्राप्त हो जायें तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेगी।

(3) चयन समिति, चयन करते समय, छंटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार से अंक प्रदान करते हुए वरीयता प्रदान करेगी :–

(एक) प्रथम पूर्ण वर्ष के लिये ... 5 अंक

(दो) दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिये ... 5 अंक

परन्तु इस उपनियम के अधीन छंटनीशुदा कर्मचारी को प्रदान किये गये अधिकतम अंक 15 अंकों से अधिक नहीं होंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की, उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

एड्रेसोग्राफर मशीन प्रचालक, साईक्लोस्टाईल मशीन प्रचालक, दफ्तरी, दफ्तरी एवं पैकर और कार्यशाला सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) एड्रेसोग्राफर मशीन प्रचालक, साइक्लोस्टाईल मशीन प्रचालक, दफ्तरी, दफ्तरी एवं पैकर और कार्यशाला सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी ..... अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट 2 अधिकारी ..... सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन–पत्रों की संवीक्षा के पश्चात प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने के अधीन चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जायेगी, समिति यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

(3) चयन समिति प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये चयनित अभ्यर्थियों की पृथक सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम–16 के अन्तर्गत न आने वाले पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) नियम–16 के अन्तर्गत न आने वाले पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम–16 के उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) "चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986" के अनुसार तैयार करेगा और उसे, उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा,

परन्तु, जहां किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्गों से की जानी हो, वहां व्यक्तियों के नामों को उनके अपने–अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के द्वारा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में पात्रता के क्षेत्र में रख कर पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी और जहां 2 या अधिक व्यक्ति इस रूप में एक ही दिनांक को नियुक्ति हुए हों, वहां अधिक आयु वाले व्यक्ति को सूची में ऊपर रखा जायेगा। नामों को इस प्रकार व्यवस्थित करने में समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के अधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः (नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता)

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या नियम 16 या नियम 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय,

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त

की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

करण

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ष्ठता

21. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991' के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–(वेतन इत्यादि)

तनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उप-बन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा.

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

24. किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ (अन्य उपबन्ध)

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

विषयों का
ग्रमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

की शर्तों में
ग्रलता

27. जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

त्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
पी.एल. पुनिया
सचिव

संख्या : 439/उन्नीस–1–94–163/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (10 प्रतियां)
2. गोपन अनुभाग–1 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. भाषा अनुभाग–6 तथा भाषा प्रकाशन अनुभाग (तीन–तीन प्रति)
4. कार्मिक (नियमावली सेल) अनुभाग (3 प्रतियां)

आज्ञा से,
देवनारायण
अनुसचिव

परिशिष्ट

नियम 4 (2) और नियम 22 (2) देखिए

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	रूपये
1.	विद्युतकार (इलेक्ट्रिशियन)	2	—	2	950–20–1150–द.रो.–25–1500
2.	काष्ठकार (कारपेण्टर)	2	—	2	तदैव
3.	सिनेमा प्रचालक (आपरेटर)	5	—	5	825–15–900–द.रो.–20–1200
4.	प्रक्षेपक प्रचालक (प्रोजे.आप.)	1	—	1	तदैव
5.	प्रचालक एवं इलेक्ट्रिशियन	5	—	5	तदैव
6.	काष्ठकार एवं रंगसाज (कारपेण्टर कम पेण्टर)	5	—	5	तदैव
7.	मुद्रण यंत्र प्रचालक	3	—	3	तदैव
8.	इम्बोसिंग मशीन प्रचालक	2	—	2	तदैव
9.	रेलवे पार्सल सहायक	1	—	1	तदैव
10.	एड्रेसोग्राफर मशीन प्रचालक	1	—	1	775–12–871–14–955–द.रो.–14–1025
11.	काष्ठकार	3	—	3	तदैव
12.	साइक्लोस्टाईल मशीन प्रचालक	1	—	1	तदैव
13.	जमादार	1	—	1	तदैव
14.	दफ्तरी	21	—	21	तदैव
15.	दफ्तरी एवं पैकर	1	—	1	तदैव
16.	कार्यशाला सहायक	2	—	2	775–12–871–14–955–द.रो.–14–1025
17.	चपरासी	66	2	68	750–12–870–द.रो.–14–940
18.	फर्राश	6	—	6	तदैव
19.	मशीनमैन	1	—	1	तदैव
20.	चौकीदार	16	—	16	तदैव
21.	माली	2	—	2	तदैव
22.	पानीवाला	1	—	1	तदैव
23.	क्लीनर	9	—	9	तदैव
24.	बेलदार	8	—	8	तदैव
25.	लिफ्टमैन	1	—	1	तदैव
26.	पैकर	14	—	14	तदैव
27.	परिचर	1	—	1	तदैव
28.	मददगार	8	—	8	तदैव
29.	प्रयोगशाला परिचर	1	—	1	तदैव
30.	बैटरी वाला	1	—	1	तदैव
31.	सफाईकार	4	—	4	तदैव
32.	सफाईकार एवं फर्राश	1	—	1	तदैव